हिमाचल प्रदेश सरकार
कार्मिक विभाग(नियुक्ति–II)

संख्याः पर(एपी–बी)बी(2)–9/1999–एल शिमला–2, 30 दिसम्बर, 2018

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से इस विभाग की सम–संख्यक अधिसूचना तारीख 26 फरवरी, 2001 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, निजी सचिव, वर्ग–II (राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2001 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :–

सक्षिंप्त नाम और प्रारम्भ.– 1(1)इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, निजी सचिव, वर्ग–I, (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (द्वितीय संशोधन) नियम, 2018 है ।

(2)ये नियम राजपत्र(ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

नियम–1 का संशोधन। 2. हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड निजी सचिव, वर्ग–I, (राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2001 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" कहा गया है) के नियम–1 के उपनियम(1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : –

"इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, निजी सचिव, वर्ग–I, (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (द्वितीय संशोधन) नियम, 2001 है।"।

उपबन्ध–'क' का संशोधन। 3. उक्त नियमों के उपबन्ध–'क' में;–

(क)शीर्षक में "हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड" और "वर्ग– II" शब्दों और चिन्ह के स्थान पर क्रमशः "हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग" और "वर्ग– I" शब्द और चिन्ह अन्तःस्थापित किए जाएगें।

(ख)स्तम्भ संख्याः 3 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित(ख) जाएगा, अर्थात्:–

" वर्ग–I(राजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाए।"।

(ग)स्तम्भ संख्याः 11 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"निजी सहायक (सहायकों) में से प्रोन्नति द्वारा जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर निजी सहायक (सहायकों) में से प्रोन्नति द्वारा जिनका निजी सहायक और वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में संयुक्ततः चौदह वर्ष का नियमित सेवाकाल या की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके चौदह वर्ष का नियमित

सेवाकाल हो जिसमें निजी सहायक के रूप में दो वर्ष की अनिवार्य सेवा भी सम्मिलित होगी; दोनों के न होने पर निजी सहायक (सहायकों) में से प्रोन्नति द्वारा जिनका निजी सहायक, वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक और कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में संयुक्ततः उन्नीस वर्ष का नियमित सेवाकाल या की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके उन्नीस वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, जिसमें निजी सहायक के रूप में दो वर्ष की अनिवार्य सेवा भी सम्मिलित होगी; उपरोक्त समस्त के न होने पर निजी सहायक (सहायकों) में से प्रोन्नति द्वारा जिनका निजी सहायक, वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक और आशुटंकक के रूप में संयुक्ततः चौबीस वर्ष का नियमित सेवाकाल या की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके चौबीस वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, जिसमें निजी सहायक के रूप में दो वर्ष की अनिवार्य सेवा भी सम्मिलित होगी।

(1)प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए इस शर्त के अध्यधीन प्रोन्नति के लिये गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति /प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रकिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी:

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहाँ उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने–अपने प्रवर्ग/पद/काडर में विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे:

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी:

परन्तु यह और भी कि जहाँ कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहाँ उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण:– अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी

हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तगर्त भर्ती किया गया है और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों मे ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी:

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी"। ''।

आदेश द्वारा

अतिरिक्त मुख्य सचिव(कार्मिक)
हिमाचल प्रदेश सरकार

पृष्ठांकन संख्याः पर(एपी–बी)बी(2)–9/1999 शिमला–2, 30 दिसम्बर, 2018

1. सचिव(कार्मिक/वित्त/विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2.
2. सचिव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला–2.
3. सचिव, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर।

(ओम प्रकाश भंडारी)
उप सचिव(कार्मिक)
हिमाचल प्रदेश सरकार।